

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची-834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड राज्य के दन्त चिकित्सकों की सीधी नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, विज्ञापन संख्या-01/2022 के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड राज्य के दन्त चिकित्सकों की सीधी नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, विज्ञापन संख्या-01/2022 दिनांक-21.05.2025 को राँची जिला अंतर्गत दो परीक्षा केन्द्र में निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है :-

दिनांक	प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक)	द्वितीय पाली (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	अवधि
21.05.2025 (बुधवार)	प्रथम पत्र (Objective type multiple choice)	द्वितीय पत्र (Objective type multiple choice)	प्रत्येक पत्र के लिए समयावधि दो घंटे

परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश-पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश निम्नवत् है :-

1. इस परीक्षा के परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
2. परीक्षार्थी अपना प्रवेश-पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश दिनांक-13.05.2025 से आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपना पंजीयन संख्या (Registration Number) एवं जन्म तिथि (Date of Birth) प्रविष्ट कर डाउनलोड कर सकते हैं।
3. यदि परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड करने में कठिनाई हो तो आयोग के Help Desk No. 919431301419/ 919431301636 पर दिनांक-20.05.2025 तक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
4. परीक्षार्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक एवं आवेदन के समय दिये गये फोटो की एक स्वहस्ताक्षरित रंगीन (Colour) फोटो तथा एक वैध (Valid) फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जायेगा।
5. परीक्षार्थी अपने ओ0एम0आर0 शीट में आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं ओ0एम0आर0 शीट (OMR Sheet) में अंकित अनुदेशों को भली भाँति पढ़कर ही प्रविष्ट करें। ओ0एम0आर0 शीट (OMR Sheet) में सही एवं वांछित सूचनाएं अंकित नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है तथा परीक्षार्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
6. ओ0एम0आर0 शीट में उत्तर के गोले में वांछित सूचना अंकित करने हेतु केवल नीला बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग किया जायेगा। अतः परीक्षार्थियों को निदेशित किया जाता कि वे अपने साथ परीक्षा कक्ष/हॉल में केवल नीला बॉल प्वाइंट पेन अवश्य लाएँ।
7. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic Gadget रखने की अनुमति नहीं है। अतः परीक्षार्थियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन, Electronic Gadget सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ यथा बैग, पाठ्य-पुस्तिकाएँ, खाद्य-सामग्री, कीमती/मूल्यवान सामान एवं अस्त्र-शस्त्र इत्यादि साथ नहीं लायें। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित परीक्षार्थी के विरुद्ध भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
8. परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आरम्भ होने की निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँच जायें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आनेवाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। केन्द्राधीक्षक विशेष परिस्थितियों में नियत समय से 15 मिनट विलम्ब तक आने वाले परीक्षार्थी पर्याप्त कारणों से प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, किन्तु 15 मिनट के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा-भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

कृ०पृ०उ०

9. दिव्यांग कोटे के वैसे अभ्यर्थी जिन्हें श्रुतलेखक (Scribe) सुविधा की आवश्यकता है, परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केन्द्र पर उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा निर्देशित व्यवस्था किया जायेगा।
10. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.ipsc.gov.in पर उपलब्ध है।

ह0/—
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।